कार्यालय कलेक्टर दमोह

/सीमित निविदा सूचना/

क्रमांक क/जिला नाजिर/2021 485 दमोह, दिनांक 17.02.2021

कलेक्टर कार्यालय दमोह हेतु तीन वाटर कूलर यूनिट (Water Cooler 40/80 pss Electronic Stopper, Fullyautomatic Commercial water purifier system 200 LPH) क्रय किये जाने हैं ।

उक्त सामग्री की दरें दिनांक 25.02.2021 दोपहर 03 बजे तक सीलबंद लिफाफा में इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।

निविदा शर्तें निम्नानुसार हैः—

1. प्रत्येक निविदा सूचना के साथ 10000.00 अंकन दस हजार रूपया अमानत राशि जमा करना होगी ।
2. निविदाता का विगत तीन वर्ष 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 का वार्षिक टर्न ओवर 500000.00 पांच लाख रूपया से कम नहीं होना चाहिये ।
3. निविदाता को जीएसटी नंबर व पेनकार्ड की प्रति बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदाकार को निविदा के साथ निविदाकर्ता/फर्म/कंपनी/प्रोपराईटर को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय/विभाग द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो, एवं प्रस्तुत दस्तावेज सत्य और प्रमाणित होने इत्यादि के संबंध में शपथ पत्र पर (50.00 के स्टाम पेपर पर नोटराइज्ड) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर तथा इस प्रकार की सूचना पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. स्वीकृत निविदाकार को निविदा स्वीकृति दिनांक से 07 दिवस के अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा । जिसका संपूर्ण व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा ।
6. अपूर्ण निविदा एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी । तथा अहस्तांतरणीय होगी ।
7. संतोषजनक सेवायें प्रदान न करने अथवा निविदा शर्तो का उल्लंघन करने के अलावा निविदाकर्ता के किसी कृत्य से कार्यालय को हुई, क्षति की पूर्ति हेतु भी घरोहर राशि राजसात किया जा सकेगा और फर्म को ब्लेकलिस्ट घोषित किया जायेगा ।
8. उक्त दरें ट्रांसपोर्ट मय इंस्टालेशन चार्ज की रहेंगी । इस्टालेशन का कोई भी अतिरिक्त शुल्क प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
9. सामग्री प्रदाय करने पर एक वर्ष की वारंटी एवं एक वर्ष के बाद 12 माह का रख—रखाव (Maintenance) रहेगा ।
10. फर्म को दर के साथ कंपनी का Authorization certificate भी प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।
12. निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर निविदा स्वमेव निरस्त होगी एवं नवीन निविदा का पूर्ण अधिकार कलेक्टर दमोह को होगा । जिसमें गुण—दोष के आधार पर बिना कोई कारण बतायें, निविदा की स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है ।
13. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर दमोह का होगा तथा न्याय क्षेत्र दमोह होगा।

डिप्टी कलेक्टर,
हेतु कलेक्टर, दमोह

पृ0क्रमांक क/जिला नाजिर/2021 485 दमोह, दिनांक17.02.2021

प्रतिलिपिः—

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दमोह की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना जिले की बेवसाइट damoh nic.in पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें ।
2. जिला सूचना एवं प्रकाशन अधिकारी दमोह की ओर देनिक अखबार में प्रकाशनार्थ ।

डिप्टी कलेक्टर,
हेतु कलेक्टर, दमोह